वित्त निर्देश 03/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 19/01/वित्त/नियम/चार/2010, रायपुर, दिनांक 13.01.2010
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन / परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भ:- 1.वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 202/201/वित्त/नियम/चार/2008,दिनांक 7.7.07
2.वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 183/382/वित्त/नियम/चार/08, दिनांक 29 अगस्त 08
3.वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 82/सी-23015/वित्त/नियम/चार/09,दिनांक 6.4.2009

संदर्भित परिपत्रों द्वारा दिनांक 1.1.1996 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 1.4.2007 से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं ।

2. संदर्भित परिपत्र के संबंध में शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.1999 में सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)/रीडर/महाविद्यालयीन प्राध्यापक/स्नातक प्राचार्य जिनकी सेवा दिनांक 1.1.1996 को पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है को वेतनमान 3700-5700 के तत्स्थानी वेतनमान 12000-420-18300 में न्यूनतम वेतन रूपये 14940/- पर वेतन निर्धारण करने के निर्देश हैं बशर्ते कि 3700-5700 के वेतनमान में उनका मूल वेतन 4325/-से कम नहीं था । परन्तु इन प्रकरणों में पेंशन/परिवार पेंशन की राशि की गणना हेतु न्यूनतम वेतन रूपये 14940/- मान्य नहीं किया जा रहा है ।

3. उपरोक्त के संबंध में वित्त विभाग के संदर्भित आदेशों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.1999 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक

प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)/रीडर/महाविद्यालयीन प्राध्यापक/स्नातक प्राचार्य हेतु दिनांक 1.1.1996 से लागू वेतनमानों के न्यूनतम के स्थान पर रूपये 14940/- को आधार मानकर पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाय ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakC:\Documents and Settings\rajesh1\My Documents\VitNerdesh\pdf_2010\Doc-file\03.doc

पृ.क्र. 20/01/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर, दिनांक 13.01.2010

<u>प्रतिलिपि</u>–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभ सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
15. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी–7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधंक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव,आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन,मंत्रालय, चेन्नई 600018.

30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रेदश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धगप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरूवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन, चड़ीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.

64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार–3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
67. प्रमुख महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001.
71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
72. संचालक,लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
73. महालेखागार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन,विकास भवन, नई दिल्ली
75. नियंत्रक लेखा,विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
76 नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर **को वित्त विभाग की** वेबसाइट www.cgfinance.nic.in **में अपलोड करने हेतु ।**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(बी.एम.कुमावर्त)
अवरसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग